संख्या-22/2020/299/क.नि.प्र./26-3-2020-18(64)98

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल,2020
समाज कल्याण विभाग

विषय:- सचिवालय स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि की स्वीकृति वर्ष 2020-21

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि रू0 42.71 (रू0 बयालिस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) को निम्नलिखित मदों के अनुसार में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद	आय-व्ययक प्राविधान	निर्गत धनराशि (रूपये में)
1	2	3
01-वेतन	11,33,000	11,33,000
03-मंहगाई भत्ता	2,83,000	2,83,000
04-यात्रा व्यय	40,000	40,000
06-अन्य भत्ते	1,00,000	1,00,000

07-मानदेय	**20,000**	**20,000**
08-कार्यालय व्यय	**75,000**	**75,000**
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	**50,000**	**50,000**
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	**20,000**	**20,000**
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	**8,00,000**	**8,00,000**
18-प्रकाशन	**5,00,000**	**5,00,000**
42-अन्य व्यय	**2,00,000**	**2,00,000**
45-अवकाश यात्रा व्यय	**40,000**	**40,000**
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**2,00,000**	**2,00,000**
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	**2,00,000**	**2,00,000**
49-चिकित्सा व्यय	**2,00,000**	**2,00,000**
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	**1,00,000**	**1,00,000**
55- मकान किराया भत्ता	**1,00,000**	**1,00,000**
56- नगर प्रतिकर भत्ता	**10,000**	**10,000**
58- आउटसोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	**2,00,000**	**2,00,000**
योग-	**42,71,000**	**42,71,000**

(रू0 बयालिस लाख इक्हत्तर हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण,01-अनुसूचित जातियों का कल्याण,-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0109-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान (के.100/रा.0-के.) की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च 2020 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

पृ.संख्या-22/2020/299(1)/क.नि.प्र./26-3-20 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनुभाग अधिकारी, लेखा, समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5-बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण, उ.प्र. शासन।

6-वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-4, उ.प्र. शासन।

7-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।

8-एन.आई.सी. की प्रति।

9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी

अनु सचिव।